	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	129/16 सनालकंवर व/जा कानाराम वगैरा	
31.5.17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे पंचायत मुख्यालय सिणधरी चारणान मे पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस मूलवाद मे बाद तामिल प्राप्त हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित हुई। वकील विप्रार्थी की ओर से लम्बे समय से जबाव पेश नही किया जा रहा है। अतः विप्रार्थी का जबाव बन्द किया जाता है। आवदेन पर उभयपक्ष अधिवक्ता की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। जिसमे पाया कि गेहूवाली तहीसल सिणधरी की खेत खसरा सख्या 156,196,216,247 कुल रकबा 342—18 बीधा भूमि मे वादीनी/प्रार्थीनी द्वारा खातेदारी हिस्से धोषणा करवाने बाबत वाद पेश किया गया है। जो मूलवाद मे साक्ष्य एवं सबुतो के आधार पर तय किया जावेगा। प्रार्थीनी विवादित भूमि की खातेदारान भी नही है। जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदारान है।और रिकार्डड खातेदारान के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। एवं प्रार्थीनी हस्तगत प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार है,और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है,जिससे साबित होता है,कि प्रार्थीनी विवादित भूमि मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार हो। लिहाजा प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश मजमे आम सुनाया गया। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलेक्टर SDC सिणधरी	

Scanned by CamScanner